Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में कानिस्टेबल 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये देशराज गुर्जर कानिस्टेबल, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर को परिवादी से 7 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा पुलिस थाना खेरली पर दर्ज करवाये गये परिवाद में मदद करने की एवज में देशराज गुर्जर कानिस्टेबल, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर द्वारा 8 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचन्द मीणा** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये देशराज गुर्जर पुत्र श्री मूलचन्द गुर्जर निवासी ग्राम गावड़ी, तहसील सिकराय, पुलिस थाना मानपुर, जिला दौसा हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर को परिवादी से 7 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।